

16 अप्रैल, 2020

सरकारी आदेश 2020-26

**COVID-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश**  
**(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या. 24)**

**जबकि,** कोरोनावायरस 2019 (COVID-19) एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

**जबकि,** इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के मामले विस्फोटक गति से तथा इलिनॉय में अधिकाधिक स्थानों पर बढ़ रहे हैं और परिणामस्वरूप मौतों की संख्या बढ़ रही है; और,

**जबकि,** यह आवश्यक है कि अस्पताल रोगियों की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक देखभाल प्रदान करने में और रोगियों के सर्वश्रेष्ठ हित में कार्य करने के सभी समुचित प्रयास करने में समर्थ हों; और,

**जबकि,** यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इलिनॉय राज्य के पास कोविड-19 (COVID-19) से प्रभावित, एवं अन्य रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त शैया क्षमता, आपूर्तियां, एवं प्रदाता हों; और

**जबकि,** इलिनॉय की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के पास देखभाल की आवश्यकता वाले सभी लोगों को देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता हो यह सुनिश्चित करने के लिए इलिनॉय के अस्पतालों में प्रभावी ढंग से चिकित्सीय उपचार प्रदान करने की राह में जो भी बाधाएं हों उन्हें हटाना आवश्यक है; और,

**जबकि,** कोविड-19 (COVID-19) का जारी प्रसार एवं विषाणु (वायरस) के द्वारा जनता के स्वास्थ्य एवं कुशल-क्षेम के लिए प्रस्तुत खतरा, अस्पतालों के लिए इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी की स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया हेतु बड़ी मात्रा में संसाधन समर्पित करना आवश्यक करते हैं; और,

**जबकि,** मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (पहला राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फ़र्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)); और,

**जबकि,** मैंने कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (सेकंड ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फ़र्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

**जबकि,** मैं संपूर्ण इलिनॉय राज्य में जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करने के लिए और हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली रोगियों की सेवा करने में सक्षम हो यह सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कोविड-19 (COVID-19) के लक्षणों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों का प्रभावी ढंग से और तीव्रता से उपचार हो, अतिरिक्त, महत्वपूर्ण उपाय करना आवश्यक पाता हूं; और,

**जबकि,** अस्पताल अनुज्ञापन अधिनियम (हॉस्पिटल लाइसेंसिंग एक्ट), 210 ILCS 85/1 एवं अनुवर्ती, और उसके तत्संबंधी विनियम इलिनॉय में लाइसेंसशुदा अस्पतालों के लिए विस्तृत नियामक ढांचा निर्धारित करते हैं; और,

**जबकि,** अस्पताल रिपोर्ट कार्ड अधिनियम (हॉस्पिटल रिपोर्ट कार्ड एक्ट), 210 ILCS 86/1 एवं अनुवर्ती, और उसके तत्संबंधी विनियम अस्पतालों के लिए स्टाफिंग (कर्मचारी संख्या) स्तर एवं इकाई के लिए किए गए संक्रमण-संबंधी उपाय आदि जानकारी से युक्त त्रैमासिक रिपोर्ट इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, IDPH या विभाग) के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक करते हैं; और,

**जबकि,** जन स्वास्थ्य विभाग की शक्तियां एवं कर्तव्य कानून (डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ पॉवर्स एंड ड्यूटीज़ लॉ), 20 ILCS 2310/2310-1 एवं अनुवर्ती, और उसके तत्संबंधी विनियम IDPH की शक्तियां एवं कर्तव्य निर्धारित करते हैं; और,

**जबकि,** 2005 का इलिनॉय प्रतिकूल स्वास्थ्य देखभाल घटना प्रतिवेदन कानून (इलिनॉय एडवर्स हेल्थ केयर इवेंट्स रिपोर्टिंग लॉ ऑफ़ 2005), 410 ILCS 522/10-1 एवं अनुवर्ती, और उसके तत्संबंधी विनियम, IDPH को प्रतिकूल स्वास्थ्य देखभाल घटनाओं की सूचना देने हेतु अस्पतालों के लिए एक प्रणाली स्थापित करते हैं; और,

**जबकि,** आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रणालियां अधिनियम (एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेस (EMS) सिस्टम्स एक्ट), 210 ILCS 50/1 एवं अनुवर्ती, और उसके तत्संबंधी विनियम, संपूर्ण राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की प्रदायगी के न्यूनतम मानकों का उपबंध करते हैं;

**अतः,** इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(3) और 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

अनुभाग 1. इलिनॉय के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए कोविड-19 (COVID-19) की प्रतिक्रिया में और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समायोजन करने की आवश्यकता को मानते हुए IDPH, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, अस्पताल अनुज्ञापन अधिनियम (हॉस्पिटल लाइसेंसिंग एक्ट), 210 ILCS 85/1 एवं अनुवर्ती; आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रणालियां अधिनियम (एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेस (EMS) सिस्टम्स एक्ट), 210 ILCS 50/1 एवं अनुवर्ती; जन स्वास्थ्य विभाग की शक्तियां एवं कर्तव्य कानून (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ पॉवर्स एंड ड्यूटीज़ लॉ), 20 ILCS 2310/2310-1 एवं अनुवर्ती; 2005 का इलिनॉय प्रतिकूल स्वास्थ्य देखभाल घटना प्रतिवेदन कानून (इलिनॉय एडवर्स हेल्थ केयर इवेंट्स रिपोर्टिंग लॉ ऑफ़ 2005), 410 ILCS 522/10-1 एवं अनुवर्ती; के सभी उपबंधों और तत्संबंधी विनियमों के प्रवर्तन के संबंध में विवेकाधिकार का उपयोग करेगा।

अनुभाग 2. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, अस्पताल अनुज्ञापन अधिनियम (हॉस्पिटल लाइसेंसिंग एक्ट), 210 ILCS 85/1 एवं अनुवर्ती, की निम्नलिखित अस्पताल अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग) आवश्यकताओं को एतद्वारा स्थगित किया जाता है:

- a. 210 ILCS 85/6.09. अस्पताल से छुट्टी की सूचना; वे वृद्ध रोगी और अशक्त रोगी जो मेडिकेयर (Medicare) पर हैं।
- b. 210 ILCS 85/6.09b. अवलोकन स्थिति की रोगी सूचना।
- c. 210 ILCS 85/6.14g. विभाग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स; ओपिऑइड वर्ग की दवाओं की अधिक मात्राएं (ओवरडोज़)।
- d. 210 ILCS 85/6.22. किसी एंबुलेंस सेवा प्रदाता द्वारा रोगी के परिवहन की व्यवस्था।
- e. 210 ILCS 85/10. बोर्ड रचना; विभागीय नियम।
- f. 210 ILCS 85/10.8. चिकित्सकों की नियुक्ति की आवश्यकताएं।
- g. 210 ILCS 85/10.10. रोगी की गंभीरतानुसार नर्स स्टाफिंग (संख्या)।
- h. 210 ILCS 85/11.8. क्लोज़्ड कैप्सनिंग (लिखित संवाद) आवश्यक।

इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (इलिनॉय एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के वे तत्संबंधी विनियम जो इन सांविधिक उपबंधों को कार्यान्वित करते हैं, उन्हें भी IDPH द्वारा लागू किए जाने वाले आपातकालीन नियमों में यथा-निर्धारित के अनुसार एतद्वारा स्थगित या संशोधित किया जाता है।

अनुभाग 3. अस्पताल रिपोर्ट कार्ड अधिनियम (हॉस्पिटल रिपोर्ट कार्ड एक्ट), 210 ILCS 86/1 एवं अनुवर्ती, के अनुभाग 35 (मुखबिर सुरक्षा (व्हिसिलब्लोअर प्रोटेक्शन्स) और अनुभाग 40 (कार्रवाई का निजी अधिकार (प्राइवेट राइट टू एक्शन)) को छोड़कर उक्त अधिनियम में वर्णित अन्य सभी उपबंध, और इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (इलिनॉय एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के टाइटल 77, भाग 255 में वर्णित तत्संबंधी विनियम, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान एतद्वारा स्थगित किए जाते हैं।

अनुभाग 4. जन स्वास्थ्य विभाग की शक्तियां एवं कर्तव्य कानून (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ पॉवर्स एंड ड्यूटीज़ लॉ), 20 ILCS 2310/2310-1 एवं अनुवर्ती, के निम्नलिखित सांविधिक उपबंध, और इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (इलिनॉय एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के टाइटल 77, भाग 250 में वर्णित तत्संबंधी विनियम, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान एतद्वारा स्थगित किए जाते हैं:

- a. 20 ILCS 2310/2310-218(c). बौद्धिक एवं विकासत्मक अशक्तताओं से पीड़ित बच्चों और वयस्कों में शिराछेदन (फ्लेबोटॉमी)।
- b. 20 ILCS 2310/2310-540. कैंसर हेतु गर्भाशय की कोशिका वैज्ञानिक जांचें। यह उपबंध केवल उतनी सीमा तक स्थगित किया जाता है जितनी सीमा तक यह इलिनॉय राज्य से लाइसेंस-प्राप्त प्रत्येक अस्पताल के लिए 20 वर्ष या अधिक की आयु वाली प्रत्येक महिला अंतःरोगी को कैंसर के लिए गर्भाशय की कोशिकावैज्ञानिक जांचें प्रस्तुत करना, तब के सिवाय जब उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा विपरीत-संकेतन (कॉन्ट्रा-इन्डिकेशन) माना जाए या तब के सिवाय जब उक्त जांच गत वर्ष में की गई हो, आवश्यक करता है, और जितनी सीमा तक यह अस्पताल के लिए परीक्षण के परिणाम दर्शाने वाले अथवा यह दर्शाने वाले अभिलेख बनाकर रखना आवश्यक करता है कि परीक्षण लागू नहीं था या यह कि उसे अस्वीकार कर दिया गया था।

अनुभाग 5. 2005 का इलिनॉय प्रतिकूल स्वास्थ्य देखभाल घटना रिपोर्टिंग कानून (इलिनॉय एडवर्स हेल्थ केयर इवेंट्स रिपोर्टिंग लॉ ऑफ़ 2005), 410 ILCS 522/10-1 एवं अनुवर्ती, में निर्धारित सभी रिपोर्टिंग समय-सीमाएं, और इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (इलिनॉय एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के टाइटल 77, भाग 235 में निर्धारित सभी तत्संबंधी विनियम, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान एतद्वारा स्थगित किए जाते हैं। यह रिपोर्ट देने के दायित्व को स्थगित नहीं करता है, उस रिपोर्ट को भेजे जाने के समय माल को स्थगित करता है। सभी राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के समाप्त हो जाने पर समय-सीमाएं बहाल हो जाएंगी।

अनुभाग 6. आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रणालियां अधिनियम (एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेस (EMS) सिस्टम्स एक्ट), 210 ILCS 50/1 एवं अनुवर्ती, और इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (इलिनॉय एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के टाइटल 77, भाग 515 में निर्धारित तत्संबंधी विनियम, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान एतद्वारा उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जो सीमा EMS कार्मिकों या सेवाओं को रोगियों को इस कार्यकारी आदेश द्वारा अधिकृत वैकल्पिक देखभाल इकाई (ऑल्टरनेट केयर फ़ेसिलिटी, ACF) तक ले जाने की अनुमति देने के लिए आवश्यक है।

अनुभाग 7. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, (a) IDPH से लाइसेंस-प्राप्त अस्पताल, या (b) इलिनॉय राज्य से लाइसेंस-प्राप्त अस्पताल, उसके किसी अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से या एक या अधिक संघीय या स्थानीय शासी निकायों के साथ सहकार्य करते हुए, IDPH द्वारा लागू आपातकालीन नियमों के अनुसरण में कोविड-19 (COVID-19) पर प्रतिक्रिया देने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कोविड-19 (COVID-19) या गैर-कोविड-19 (non-COVID-19) रोगियों को कमरा, भोजन, उपचर्या (नर्सिंग), और निदान (डाइग्नोसिस) या उपचार प्रदान करने के लिए ACF स्थापित कर सकते हैं। अस्पताल अनुज्ञापन अधिनियम (हॉस्पिटल लाइसेंसिंग एक्ट), 210 ILCS 85/1 एवं अनुवर्ती, और इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (इलिनॉय एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के टाइटल 77, भाग 250 में निर्धारित उसके तत्संबंधी विनियमों को, ACF पर लागू होने से एतद्वारा पूर्ण-रूपेण स्थगित किया जाता है, बशर्ते वे ACF, IDPH द्वारा लागू आपातकालीन नियमों में वर्णित मानकों को संतुष्ट करते हों।

अनुभाग 8. IDPH इस कार्यकारी आदेश के आशय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आपातकालीन नियम दायर करेगा।

अनुभाग 9. इस कार्यकारी आदेश का, और IDPH द्वारा जो भी आपातकालीन नियम लागू किए गए हैं उन नियमों का अर्थ, अग्रलिखित के संबंध में संघीय मेडिकेयर (Medicare) एवं मेडिकएड (Medicaid) सेवाएं केंद्रों (सेंटर्स फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकएड सर्विसेस) या अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएं विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज़) द्वारा जारी किन्हीं भी छूटों/अधित्याग, विनियमों, और अन्य आधिकारिक मार्गदर्शन की सुसंगति में निकाला जाएगा: अस्पतालों द्वारा अस्थायी विस्तार स्थलों की स्थापना; चिकित्सक स्व-संप्रेषण (सेल्फ़-रेफ़रल) कानून; आपातकालीन उपचार एवं प्रसव अधिनियम (एमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड लेबर एक्ट, EMTALA); मेडिकेयर (Medicare), मेडिकएड (Medicaid) एवं बाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (चिल्ड्रेन्स हेल्थ इश्योरेंस प्रोग्राम) सहभागिता आवश्यकताएं; एवं 1996 का स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी एवं जवाबदेही कानून (हेल्थ इश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ़ 1996, HIPAA) का निजता का नियम।

अनुभाग 10. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

---

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

(गवर्नर)

राज्यपाल (Governor) द्वारा जारी 16 अप्रैल, 2020

राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा दायर 16 अप्रैल, 2020